

01/10/24

प्रावली पेशा हुई, वासीगाण अनुपस्थित / कामे  
 वासीगाण भी अनुपस्थित / प्रतिवासीगाण भी  
 अनुपस्थित / कामे प्रतिवासीगाण भी अनुपस्थित।  
 तीन बार कलक कलक कर आवाज लगाई  
 गई लेकिन कोई भी पक्षकारान उपस्थित  
 नहीं हुआ। कुछ समय इंतजार किया फिर  
 भी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।  
 वासीगाण एवं प्रतिवासीगाण दोनों अनुपस्थित  
 रहने पर प्रकरण को, गुणावगुण पर  
 हिलगरी किये बिना, अन्तर्गत क्रॉडेश  
 9 नियम 3 CPC के अन्तर्गत (अदम एंजरी  
 मसम पैरवी में) dismiss किया जाता है।  
 प्रावली प्रसन्नकुमार होकर, नंबर से  
 कम होकर, वास तत्काल तत्काल/व्य साक्ष्य  
 एकर ही।



*[Handwritten Signature]*

01/10/24

उपखण्ड अधिकारी  
 पिडावा, जिला मालावाड़ (राज०)

